प्रेषक,

निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।

सेवा में,

एरिया मैनेजर,
आई0सी0आई0सी0आई0–लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0,
एल्डिको कार्पोरेट चैम्बर–1,
चतुर्थ तल, विभूतिखण्ड,
लखनऊ।

पत्रांक एस– कैम्प– 136 /सी–32/फ0बी0/2016–17/लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2016

विषयःवर्ष 2016–17 में प्रदेश के 6 जनपदों में PMFBY (नई योजना) लागू किये जाने की अधिसूचना।

महोदय,

शासनादेश सं0– 24 /2016/1715/12–2–2016,–60(3)/2016 दिनांक 30 जून 2016 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा जनपद–अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी है जिसे संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि सभी सम्बन्धित को प्राथमिकता पर अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए योजना के सफल संचालन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

30/6/16

(विनोद कुमार)
निदेशक।

संख्या-24 /2016 / 1015 /12-2-2016-60(3)/2016

प्रेषक,

प्रदीप भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती।
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 2016

विषय- वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-17/2016/1237/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 13 मई, 2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या: 23/2016/1562/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 10 जून, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को निम्नलिखित प्राविधानानुसार लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- योजना को भारत सरकार के अ०शा०पत्र संख्या: 13015/02/2015-क्रेडिट-।। दिनांक 22 फरवरी 2016 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के अ०शा०पत्र संख्या: 13015/03/2016-क्रेडिट-।।, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप प्रदेश में संचालित किया जायेगा।

2- योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों, जिनका बीमा कृषकों द्वारा कराया जा सकेगा, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। योजना में सम्मिलित सभी खरीफ व रबी फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है।

खरीफ की फसल- धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूँगफली, उर्द, मूँग, तिल, अरहर, सोयाबीन, गन्ना।

रबी की फसल- गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू।

3- योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित फसलों के उत्पादक कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों की बुवाई की निम्न अवस्थाओं में जोखिमों को कवरेज प्रदान किया जायेगा:-

3-(i) प्रतिकूल मौसमीय परिस्थतियों के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा)।

3-(ii) अधिसूचित खड़ी फसलों की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल नष्ट होने की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा)।

3-(iii) फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुयी अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा/बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किया जायेगा)।

3-(iv) स्थानिक आपदाओं- ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल प्लावन से अधिसूचित फसल नष्ट होने की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किया जायेगा)।

फसलों की दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों से क्षति को योजनान्तर्गत कवर नहीं किया गया है।

4- आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 को जनपद -अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की फसलों को बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है।

5- वर्ष 2016-17 में अधिसूचित फसलों के अद्यतन आच्छादन के आधार पर अधिसूचित फसलों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों (ग्राम पंचायत) की सूची से सम्बन्धित परिशिष्ट-1 में आंशिक संशोधन हेतु निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे।

6- अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) निम्नवत योजना में सम्मिलित हो सकेंगे:-

6-(i) ऋणी कृषक:-वित्तीय संस्थाओं- व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) से अधिसूचित फसलों हेतु अल्प कालीन कृषि प्रचालन

ऋण लेने वाले समस्त ऋणी कृषकों को सम्बन्धित बैंक शाखा/संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से योजना में कवर किया जायेगा।

6-(ii) **गैर ऋणी कृषक:-** अन्य सभी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा अपनी इच्छानुसार अधिसूचित फसल का बीमा कराया जा सकेगा।

6-(iii) ऋणी एवं गैर ऋणी सभी कृषकों द्वारा **खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई** 2016 एवं **रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की अन्तिम तिथि** तक प्रीमियम की कटौती कराते हुए योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा।

6-(iv) ऋणी कृषकों के अधिसूचित फसल का बीमा सम्बन्धित ऋण प्रदाता शाखा (व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं पैक्स) द्वारा किया जायेगा। गैर ऋणी कृषकों द्वारा अपने निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट/बीमा कम्पनी को व्यक्गित रूप से अथवा क्रियान्वयन अभिकरण को बीमित फसल के पूर्ण विवरण व प्रीमियम की धनराशि के साथ पत्र द्वारा अथवा सीधे बीमा कम्पनी के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से फसलों का बीमा कराया जा सकेगा।

6-(V) योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक गैर ऋणी कृषक को अधिसूचित फसल का बीमा कराने हेतु भू स्वामित्व (बटाई अथवा किराये पर खेती की स्थिति में अनुबन्ध की प्रति) एवं बोई गयी फसल की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। गैर ऋणी कृषक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

6-(vi) गैर ऋणी कृषक अग्रिम फसल बुवाई योजना (Advance Crop Planning) के आधार पर फसलों की वास्तविक बुवाई से पूर्व योजना में सम्मिलित हो सकेंगे। यदि किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित फसल के स्थान पर कोई अन्य फसल बोई जाती है ऐसी स्थिति में कृषक बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट/सीधे बीमा कम्पनी से बीमा कराने की निर्धारित तिथि के 30 दिन तक की अवधि में सम्बन्धित बैंक/बीमा मध्यस्थ अथवा एजेण्ट/सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को संशोधित फसल हेतु अतिरिक्त प्रीमियम (यदि आवश्यक हो) के साथ सूचित करते हुए फसल का बीमा करा सकेगा। ऐसी स्थिति में कृषक द्वारा बोई गयी फसलों की पुष्टि हेतु गॉव/जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7- <u>बीमित राशि, प्रीमियम दर व अनुदान</u>- वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का जनपदवार विवरण <u>परिशिष्ट- 2 व 3</u> में उल्लिखित है।

8- <u>कृषकों से फसलों के प्रीमियम की धनराशि का एकत्रीकरण व क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण हेतु निर्धारित समय-सारिणी:-</u>

8-(i) ऋणी कृषक- वित्तीय संस्थाओं- व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) द्वारा वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसलों हेतु स्वीकृत अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण/नवीनीकृत ऋण (अधिसूचना के परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को प्रस्तर-6 में उल्लिखित अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए योजना में अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्था द्वारा प्रीमियम की धनराशि हेतु अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते हुए अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम की कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

व्यक्तिगत ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि कृषक द्वारा बैंक में प्रस्तुत ऋण आवेदन फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्टि-2 अथवा परिशिष्ट-3 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड से अधिसूचित फसल के लिए वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम की अवधि हेतु स्वीकृत ऋण (अधिसूचना के परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को प्रस्तर-6 में उल्लिखित अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा।

व्यवसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार (ग्राम पंचायतवार) ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 15 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायेगी।

पैक्स, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 15 कार्य दिवसों के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर, प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

8-(ii) गैर ऋणी कृषक -अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की अवधि में परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 में फसलवार उल्लिखित बीमित राशि का बीमा निकटतम बैंक शाखा/क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेन्ट/क्रियान्वयन अभिकरण को व्यक्तिगत रूप से अथवा क्रियान्वयन अभिकरण को पत्र द्वारा अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषक को बीमित फसल के पूर्ण विवरण- मौसम, ग्राम पंचायत, फसल, बीमित कृषकों की संख्या, बीमित राशि, प्रीमियम राशि, बीमित क्षेत्र, कृषक श्रेणी-सीमान्त अथवा लघु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक, बैंक खाता संख्या के विवरण के साथ प्रीमियम की धनराशि का भुगतान करना होगा।

व्यक्तिगत गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्टि-2 अथवा परिशिष्ट-3 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

व्यवसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायेगी।

पैक्स, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 07 कार्य दिवसों के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अन्दर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा।

बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट द्वारा गैर ऋणी कृषकों के प्रस्ताव फार्म व बीमा शुल्क को 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

8-(iii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा फसल बीमा योजना हेतु अपनी कम्पनी का टोल फ्री नम्बर बनाते हुए एक कॉल सेन्टर, जिसमें आवश्यक संख्या में कार्मिक उपलब्ध होंगे, स्थापित कराया जायेगा। टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य सुनिश्चित कराया जायेगा। टोल फ्री नम्बर को प्रदेश स्तर पर स्थापित माननीय मुख्यमंत्री, बैंकिंग सर्विस हेल्पलाइन नम्बर-1520 से भी जोड़ा जायेगा।

9- <u>फसलों की क्षति का ऑकलन एवं क्षतिपूर्ति</u>- प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले व्यापक आपदाओं (Wide Spread Calamities) से फसल नष्ट होने की स्थिति में फसलों की क्षति का ऑकलन ग्राम पंचायत स्तर तथा स्थानिक आपदाओं- ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल प्लावन से अधिसूचित फसल नष्ट होने एवं फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी फसल नष्ट होने की स्थिति में **फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत कृषक के स्तर पर किया जायेगा।** क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना के प्राविधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित बैंक के माध्यम से कृषक के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा। स्थानिक आपदाओं एवं फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि में फसल नष्ट होने की निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को व्यक्गित दावा प्रस्तुत करना नहीं होगा।

- <u>व्यापक आपदाओं (Wide Spread Calamities) से फसल नष्ट होने की स्थिति-</u>

9-(i) <u>प्रतिकूल मौसमीय परिस्थतियों के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई की स्थिति-</u> कम वर्षा या अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यदि ग्राम पंचायत के अधिकांश (75 प्रतिशत या अधिक) कृषक फसल की प्रारम्भिक अवस्था में अधिसूचित फसल की बुवाई नहीं कर पाते हैं या असफल बुवाई की स्थिति का सामना करते हैं, ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को दी जायेगी। कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का ऑकलन निम्नानुसार किया जायेगा-

क्षतिपूर्ति	=	बीमित राशि	X	बुवाई विफलता प्रतिशत X 25%

<u>बुवाई न कर सकने/असफल बुवाई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का लाभ देय होने के पश्चात कृषक को आगे योजना के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं उसका बीमा कवरेज समाप्त माना जायेगा।</u>

9-(ii) <u>अधिसूचित फसलों की बुवाई से कटाई की समयावधि में खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल नष्ट होने की स्थिति-</u> मौसम के अन्त में बीमा इकाई क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग के आधार पर फसलों की वास्तविक उपज

का ऑकलन किया जायेगा। ग्राम पंचायत में फसल की वास्तविक उपज निर्धारित गारण्टीड उपज से कम होने पर ग्राम पंचायत में फसल विशेष के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को समान रूप से उपज में कमी का सामना करता हुआ माना जायेगा एवं बीमित कृषकों को निम्न आधार पर क्षतिपूर्ति देय होगी:-

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{उपज में कमी*}}{\text{गारण्टीड उपज **}} \times \text{कृषक की बीमित राशि}$$

* उपज में कमी = गारण्टीड उपज - वास्तविक उपज

** गारण्टीड उपज = ग्राम पंचायत में फसल विशेष की गत सात वर्षों की औसत उपज (प्रदेश में दो आपदा वर्षों में फसल की औसत उपज को छोड़कर) X इण्डेम्निटी स्तर (%)

<u>प्रदेश में खरीफ 2009, खरीफ **2014** एवं रबी 2014-15 आपदा प्रभावित के कारण इन मौसमों की फसल की औसत उपज को गारण्टीड उपज के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।</u>

फसल के वास्तविक उपज के आंकलन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिसूचित प्रत्येक फसलों पर चार फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसलों की वास्तविक उपज का ऑकलन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायत में चार फसल कटाई प्रयोग सम्पादित नहीं हो सकेंगे, उन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत से अगले क्रम में उच्च स्तर पर उपलब्ध इकाई में फसल की औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया जायेगा।

9-(iii) <u>फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुयी अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा/बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति</u>- इस स्थिति में फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने का प्राविधान है। प्रभावित कृषक को आपदा के 48 घण्टे के अन्दर सीधे **क्रियान्वयन अभिकरण** के टोल फ्री नम्बर पर अथवा अपने बैंक के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर सूचित करना आवश्यक है। बैंक स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण को अग्रसारित किया जायेगा।

फसल कटाई के उपरान्त के जोखिम से फसलों की क्षति के ऑकलन हेतु क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी योग्यता व अनुभव के सर्वेयर (Loss Assessors)/कृषि विभाग अथवा बैंक के योग्य सेवा निवृत्त

कार्मिक की नियुक्ति आपदा की सूचना प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। सर्वेयर (Loss Assessors) द्वारा क्षति का ऑकलन 10 दिन के अन्दर पूर्ण किया जायेगा तथा क्रियान्वयन अभिकरण को सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

सर्वेयर (Loss Assessors) द्वारा क्षति का ऑकलन सम्बन्धित कृषक व स्थानीय कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

यदि ग्राम पंचायत में फसल के कुल बीमित क्षेत्र के 25% से अधिक की क्षति की सूचना प्राप्त होती है तो ग्राम पंचायत में बीमित फसल के उत्पादक सभी बीमित कृषक, जिनके द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित समयावधि में सूचित किया गया है, को क्षतिपूर्ति देय होगी। ऐसी स्थिति में सर्वेयर (Loss Assessors) द्वारा सम्बन्धित कृषकों व स्थानीय कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारी की संयुक्त सहमति से सीमित क्षेत्र में सर्वेक्षण के आधार पर फसल की क्षति का प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा।

- <u>स्थानिक आपदाओं (Localized Calamities) से फसल नष्ट होने की स्थिति-</u>

9-(iv) ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल प्लावन की स्थानिक आपदाओं से अधिसूचित फसल की क्षति की स्थिति में फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में अधिकतम क्षतिपूर्ति आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप देय होगी। इन आपदाओं की स्थिति में भी बीमित कृषकों को आपदा के 48 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर अथवा अपने बैंक/बीमा एजेण्ट के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को निर्धारित प्रारूप पर सूचित करना आवश्यक है। बैंक/बीमा एजेण्ट के स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कम्पनी को अग्रसारित किया जायेगा। क्षति का ऑकलन व क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु <u>प्रस्तर 9-(iii)</u> में उल्लिखित प्रक्रिया व समयावधि के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- <u>तात्कालिक सहायता</u>- अधिसूचित फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों यथा-बाढ, सूखा, अवर्षण आदि के कारण से ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल की सम्भावित उपज फसल की गारण्टीड उपज के 50% से कम होने की स्थिति में बीमित कृषक को फसल की बीमित धनराशि के **25%** तक अधिकतम क्षतिपूर्ति का तात्कालिक भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा जिसे मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या